भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1174

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 फरवरी, 2026/21 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

बढ़ती हुई आरक्षित ऋण

1174. श्री दिग्विजय सिंहः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औद्योगिक ऋण की तुलना में आरक्षित ऋण में हो रहे असामान्य वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2021 से लेकर अब तक देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी द्वारा संवितरित अरक्षित वैयक्तिक ऋण की कुल मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) समग्र खुदरा ऋण पोर्टफोलियों में अरक्षित ऋण का वर्तमान हिस्सा कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस वृद्धि से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए विनियामक उपाय क्या-क्या किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा उद्योग को बकाया कुल अग्रिमों में दिनांक 31.3.2023 से दिनांक 31.3.2025 तक 9.8% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, एससीबी और एनबीएफसी के कुल बकाया अप्रतिभूत अग्रिमों में 8.3 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई और एससीबी और एनबीएफसी के कुल सकल अग्रिम में 15.9 प्रतिशत सीएजीआर की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप कुल सकल अग्रिमों में बकाया अप्रतिभूत अग्रिमों की हिस्सेदारी दिनांक 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार 25.8 प्रतिशत से घटकर दिनांक 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार 22.5 प्रतिशत हो गई है। यह दर्शाता है कि एससीबी और एनबीएफसी के बकाया अप्रतिभूत ऋण की वृद्धि, समग्र ऋण वृद्धि और उद्योग को बकाया ऋण की वृद्धि की तुलना में गैर-समानुपातिक रूप से नहीं बढ़ी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2023 से पहले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 'बकाया अप्रतिभूत अग्रिम', अप्रतिभूत व्यक्तिगत अग्रिम' और 'अप्रतिभूत खुदरा अग्रिम' के संबंध में उसके द्वारा सूचना नहीं रखी जा रही है। इसके अलावा, एनबीएफसी के 'व्यक्तिगत ऋण-बकाया अग्रिम' और 'अप्रतिभूत खुदरा अग्रिम' के संबंध में भी उसके द्वारा सूचना नहीं रखी जा रही है। हालांकि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कुल बकाया अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण दिनांक 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार 7,72,025 करोड़ रुपये, दिनांक 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार 9,10,673 करोड़ रुपये और दिनांक 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार 9,53,181 करोड़ रुपये था।

दिनांक 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया कुल खुदरा अग्रिमों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अप्रतिभूत खुदरा अग्रिमों की हिस्सेदारी 25.2 प्रतिशत थी, जो दिनांक 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार 28.0 प्रतिशत से कम हो गई है।

इसके अतिरिक्त आरबीआई अपने विनियामक और परिवेक्षी रूपरेखा के भाग के रूप में बदलती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में विनियामक उपाय करता है जिसने अन्य बातों के साथ साथ जोखिम भार में परिवर्तन विनियमित संस्थाओं को उनके आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने इनसे होने वाले जोखिमों का समाधान करने की सलाह देने तथा प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए ऋण क्षेत्रों/संस्थाओं पर विनियामक प्रतिबंध लगाना शामिल है।

*****